न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—जबर सिंह आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 02/2018 **दायर दिनांकः 15.03.2018**

उनवान

1. ग्रामवासी खेडलीगंज तह0 अटरू जिला बारां राज0।

बनाम

1. श्रीराम मेरिज रिसोर्ट प्रो0 दिलीप चोरसिया पुत्र श्री कैलाश चन्द चौरसिया ग्राम खेडलीगंज तह0 अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 133 CRPC

निर्णय

दिनांक 17.01.2019

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र 133 सी0आर0पी0सी0 का इस आशय का पेश किया है कि डिस्टलेरी मोहल्ला खेड़लीगंज अटरू में अम्बेडकर सी0 सैक0 स्कूल के सामने नाली बनी है जिसमें होकर पुरे मोहल्ले का पानी व श्रीराम मेरिज रिसोर्ट का पानी निकलता है। नाली पर श्री मोहन सिंह ने रेम्प व पत्थर जमा कर नाली को बन्द कर दिया है। व नाली की सफाई नही करने देते है। जिससे सारा पानी सडक पर फैल गया है। मेरिट रिसोर्ट के सडे हुये भोजन व पानी की बदबू से पुरा मोहल्ला परेशान है। व मोहल्ले वालों का रहना मुश्कील हो रहा है। तथा बीमारी फेलने की सम्भावना है।

अतः मान्यवर से विनम्र निवेदन है कि उक्त गम्भीर स्थिति पर ध्यान देते हुये नाली पर हो रहे अतिक्रमण को हटवायें व श्रीराम मेरिज रिसोर्ट को पाबन्द करें कि वह सडा हुआ भोजन व गन्दगी मोहल्ले में नही डाले।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश कर कथन किया गया कि ग्राम खेडलीगंज में रिसोर्ट बना हुआ है जो उसके कब्जे व स्वामित्व का है। जबकि आम रास्ते पर ग्राम पंचायत द्वारा सुचारू रूप से नाली व रोड़ बना हुआ नही है। आगे आवास वालों द्वारा चबूतरे बनाये हुए है तथा विद्यालय है। उसके द्वारा भी नाली नही बनाई गई इस वजह से पानी का निकास नही हो पा रहा है। आगे सी0सी0 रोड़ बना हुआ है। जिसके कारण पानी नही निकल पाता है ग्राम पंचायत द्वारा रोड़ एवं नाली की व्यवस्था कर दी जावें तो मेरे को किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं है। मेरे द्वारा पानी का निकास भी आम रास्ते पर नही है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि आवास व विद्यालय वालों से नाली का खुलासा करके पानी निकलवाया जावें। तथा ग्राम पंचायत द्वारा नाली को सुचारू रूप से ठीक करवाई जावें।

तहसीलदार अटरू से मौके की रिपोर्ट ली गई तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र क्रमांक भू0अभि0 29 दिनांक 14.06.2018 से रिपोर्ट पेश कर कथन किया गया कि आज दिनांक 14.06.2018 को श्रीराम रिसोर्ट पहुचकर मौका देखा गया। श्रीराम रिसोर्ट के आस–पास कोई गन्दगी नही है। तथा नही पानी का भराव है। अम्बेडकर स्कूल के रास्ते पर पानी जमा है। जिसका मुख्य कारण मोहनसिंह द्वारा नाली को अवरूद्ध कर रेम्प बनाना है। ग्राम पंचायत खेडलीगंज को नाली को खुलासा कर पानी के निकास हेतु लिखा जावें। वर्तमान में श्रीराम रिसोर्ट में कोई कार्यक्रम भी होना नही बताया गया।

श्रीराम रिसोर्ट के मालिक दिलीप चौरसिया को गन्दगी नही फैलाने तथा कीचड़ को साफ सफाई करने की हिदायत दी गयी। एवं पाबन्द कर दिया गया है।

प्रार्थना पत्र पर बहस की तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया अप्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि आम रास्ते पर पंचायत द्वारा सुचारू रूप से नाली व रोड़ बना हुआ नही है। आगे के आवास वालों ने चबूतरे बनाये हुए है। विद्यालय द्वारा भी नाली नही बनाने से पानी की निकासी नही हो रही है। मेरे द्वारा पानी की निकासी आम रास्ते में नही की जा रही है। आवास वालों से नाली का खुलासा करके पानी निकलवाया जावें।

तहसीलदार अटरू द्वारा मौके की रिपोर्ट में अवगत कराया गया कि श्रीराम रिसोर्ट के आस–पास कोई गन्दगी नही है। तथा नही पानी का भराव है। अम्बेडकर स्कूल के रास्ते पर पानी जमा है। जिसका मुख्य कारण मोहन सिंह द्वारा नाली को अवरूद्ध कर रेप बनाना है। श्रीराम रिसोर्ट के प्रो0 राईटर को गन्दगी न फैलाने व साफ सफाई रखने हेतु पाबन्द कर दिया गया है।

अतः अप्रार्थी को गन्दगी न फैलाने व पानी की निकासी रोड़ पर नही करने हेतु पाबन्द किया जाता है। तथा ग्राम पंचायत को आदेश दिये जाते है। कि नाली का निर्माण करवाकर पानी की निकासी करवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जबर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां